रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1218/2025/1808/22-2-2025-17(971)/2025

लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2025

शुद्धि-पत्र

जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मो0 इद्रीश (बंदी सं0-54/2024) पुत्र श्री मोसिम अली, निवासी कादीपुर,थाना-को0 नगर,जनपद-प्रतापगढ़ की समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-1164/2025/1808/22-2-2025-17(971)/2025, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 के दूसरे पैरा की नवीं पंक्ति में मा0 सत्र न्यायालय द्वारा 07 वर्ष की दी गयी सजा को यथावत रखने के स्थान पर टकंण त्रुटिवश आजीवन कारावास अंकित हो गया है, जिसे "आजीवन कारावास" के स्थान पर "07 वर्ष " पढ़ा एवं समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-1218/2025/1808(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 2025 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगाार, लखनऊ को किमि० मिस० रिट याचिका सं0-6152/2025 फुल्लन उर्फ फुल्लन व अन्य बनाम श्री राज्यपाल, उ०प्र० राजभवन, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ और अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in